पंचायत समिति धर्मशाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2016 से 31-03-2023

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति धर्मशाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 01-04-2016 से 31-03-23 के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2016 से 31-03-23 के दौरान पंचायत समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यरत थे :-

अध्यक्ष :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र कुमार	01-04-2016 से 22-12-2020
2	श्रीमति मंजू देवी	29-01-2021 से 31-03-2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री धर्मेश कुमार	01-04-2016 से 12-06-2017
2	श्री के०डी०सिंह कंवर	16-06-2017 से 05-08-2017
3	श्री के०सी० ठाकुर	01-09-2017 से 17-02-2018
4	श्री अभिनीत कात्यान	26-02-2018 से 22-02-2019

5.	श्री मुनीश कुमार शर्मा	08-03-2019 से 07-07-2019
6.	श्री अभिनीत कात्यान	08-07-2019 से 01-02-2021
7.	श्री विवेक टेस्सू	02-02-2021 से 28-02-2021
8.	श्री अभिनीत कात्यान	29-02-2021 से 15-06-2022
9.	श्री स्पर्श शर्मा	23-06-2022 से 02-03-2023
10.	श्री नेत्र मेटी	04-03-2023 से 14-03-2023
11.	श्री ओम पाल	15-03-2023 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

पंचायत समिति धर्मशाला, विकास खण्ड धर्मशाला के लेखों के अवधि 01-04-2016 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.2	बैंक एवं रोकड़ बही के अंतशेषों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	10.01
2	4.4	रोकड़ बही में कम शेष दर्शाना	03.61
3	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	259.39
4	6	निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	4.38
5	7	अनियमित भुगतान	1.44
6	8	पंचायतों को अनियमित भुगतान	3.36
7	9	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन प्रस्तुत न करने बारे	11.16
8	10	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अधिक भुगतान	0.02

9	11	बकाया वेतन का अधिक भुगतान करना	0.03
10	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	**0.22**

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

पंचायत समिति धर्मशाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 31-01-2024 से 17-02-2024 तक पंचायत समिति धर्मशाला के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया :-

क्रम संख्या	**वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2016-17	02/2017	02/2017
2.	2017-18	02/2018	06/2017
3.	2018-19	12/2018	10/2018
4.	2019-20	04/2019	03/2020
5.	2020 -21	04/2020	03/2021
6 .	2021-22	10/2021	10/2021
7 .	2022-23	01/2023	04/2022

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत

सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

पंचायत समिति धर्मशाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2016 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹15000 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनांक 15-02-2024 द्वारा अनुरोध किया गया । जिसकी अनुपालना में पंचायत समिति द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या-357116 के माध्यम से दिनांक 26 -02-2024 को निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -09 को भेज दिया गया है।

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

पंचायत समिति धर्मशाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01-04-2016 से 31-03-2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-(1)** के अनुसार निम्न प्रकार से थी:-

Consolidated Financial Position of Panchayat Smiti dharamshala Distt. Kangra as on 31-03-2023

YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2016-17	Own Sources /3rd finance	11185546	1699727	565172	13450445	4182138	9268307
	Grant-in-aid	4520488	7821405	0	12341893	4787658	7554235
	Total	**15706034**	**9521132**	**565172**	**25792338**	**8969796**	**16822542**
2017-18	Own Sources /3rd finance	9268307	3673709	475358	13417374	5046202	8371172
	Grant-in-aid	7554235	5345434	0	12899669	7120673	5778996
	Total	**16822542**	**9019143**	**475358**	**26317043**	**12166875**	**14150168**
2018-19	Own Sources /3rd finance	8371172	18799964	81855	27252991	9786385	17466606
	Grant-in-aid	5778996	0	0	5778996	65540	5713456
	Total	**14150168**	**18799964**	**81855**	**33031987**	**9851925**	**23180062**
2019-20	Own Sources	17466606	23814789	537472	41818867	20107269	21711598

	/3rd finance						
	Grant-in-aid	5713456	0	0	5713456	0	5713456
	Total	**23180062**	**23814789**	**537472**	**47532323**	**20107269**	**27425054**
2020-21	Own Sources /5th finance	21711598	18757354	643645	41112597	18498435	22614162
	Grant-in-aid	5713456	0	0	5713456	0	5713456
	Total	**27425054**	**18757354**	**643645**	**46826053**	**18498435**	**28327618**
2021-22	Own Sources /5th finance	22614162	19553265	544655	42712082	18103483	24608599
	Grant-in-aid	5713456	0	0	5713456	0	5713456
	Total	**28327618**	**19553265**	**544655**	**48425538**	**18103483**	**30322055**
2022-23	Own Sources /5th finance	24608599	15079729	73468	39761796	19536550	20225246
	Grant-in-aid	5713456	0	0	5713456	0	5713456
	Total	**30322055**	**15079729**	**73468**	**45475252**	**19536550**	**25938702**

(ख) अंत शेष का विवरण

(i) दिनांक 31-03-2023 को बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	**बैंक का नाम**	**खाता सं०**	**राशि (₹)**
1.	आई०सी०आई०धर्मशाला	50001000336	30668.0
2.	आई०सी०आई०धर्मशाला	50001000974	1397234.0
3.	आई०सी०आई०धर्मशाला	50001000962	6445665.0
4	आई०डी०वी० आई० धर्मशाला	1106104000052100	1146322.0
5.	आई०डी०वी० आई० धर्मशाला	1106104000053969	2235874.79
6.	सी०वी० आई० धर्मशाला	5102320940	9027.0
7.	सी०वी० आई० धर्मशाला	5102320940	166080.0
8..	सी०वी० आई० धर्मशाला	5102320940	86211.0
9.	पंजाब एवं सिंध बैंक धर्मशाला	11681000001695	491566.04
10.	एच ०जी०वी० धर्मशाला	88131700003225	7154328.59
11.	एच ०जी०वी० धर्मशाला	88121700003234	3090283.0

12.	बन्धन बैंक धर्मशाला	50180018034717	347090.0
13.	एक्सिस बैंक धर्मशाला	917010022518277	3540431.0
14.	एक्सिस वैंक धर्मशाला	917010038140817	799107.0
15.	हस्तगत राशि	--------	0.0
		कुल योग	**₹26939887.42**

(ii) **रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31-03-23 को अन्तशेष** **₹25938702.00**

अंतशेष में अन्तर ₹1001185.42

4.2 रोकड़ बही शेषों का बैंक शेषों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹10.01 लाख का भारी अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायत समिति रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है ।

पंचायत समिति की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹1001185.42 का भारी अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 (1) में दिया गया है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15 दिनांक 12-2-2024 व 17 दिनांक -01-2024 द्वारा इस बारे पुन: स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है । अतः अन्तर के कारणों की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए एवं भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें एवं सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

4.3 पंचायत समिति की अतिरिक्त निधि को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके।

पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष निधियों में समुचित राशि उपलब्ध थी ।

अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

4.4 रोकड़ बही के शेष में ₹3.61 लाख कम दर्शाने बारे

पंचायत समिति की रोकड़ बही के शेषों की पड़ताल उपरांत पाया गया कि रोकड़ बही के शेषों में विभिन्न दिनांको को ₹361147 कम दर्शाए गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -55 दिनांक 02-01-2018 को कुल योग ₹9887486.77 बनता था जबकि ₹9526369.77 दर्शाया गया था । इस प्रकार शेष में ₹361117 (₹9887486.77-₹952636 9.77) कम लिया गया था।
2. रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -169 दिनांक 11-02-2022 को कुल योग ₹316727.04 बनता था जबकि ₹316724.04 दर्शाया गया था। इस प्रकार शेष में ₹3 (₹316727.04 - ₹316724.04) कम लिया गया था।
3. रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -176 दिनांक 20-03-2023 को कुल योग ₹342638 बनता था जबकि ₹342612 दर्शाया गया था। इस प्रकार शेष में ₹26 (₹342638 - ₹342612) कम लिया गया था।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 12-2-2024 व 17 दिनांक -01-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है ।

अतः अतिशीघ्र इस कम ली गई राशि का उचित समाधान करके जमा पक्ष में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

5 अनुदान ₹259.39 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट"1"** पर अनुदानों (जिसमें स्वः-स्त्रोतों की आय भी सम्मिलित है।) से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹25938702 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 31-01-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता के कारण स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः अतिशीघ्र शेष अनुदान राशि को नियमानुसार व्यय किया जाए तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये

6 ₹4.38 लाख के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति निधि से अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति कार्यालय व पंचायतों को अनुदान जारी किया किया गया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के प्रावधानों अनुसार स्वीकृत राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 मास के भीतर-2 विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग को भेजना अपेक्षित हैं। निम्न विवरण अनुसार ₹**4,38,010** के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में जाँच प्रस्तुत नही किये गये :-

क्रम संख्या	**संस्था का नाम**	**शीर्ष**	**कार्य का विवरण**	**राशि (₹)**
1	ग्राम पंचायत वताला	पंचायत समिति	समुदायिक भवन वार्ड न०-6	3,00,000
2	ग्राम पंचायत नरवाना खास	पंचायत समिति	पुल्ली का निर्माण नवीन के घर के नजदीक वार्ड न०-3	60,000
3	ग्राम पंचायत पद्दर	पंचायत समिति	वर्षा शालिका निर्माण नजदीक नन्दिकेश्वर धाम चामुंडा	6,50,000
4	ग्राम पंचायत झील	पंचायत समिति	सम्पर्क मार्ग /पुल्ली नेद खड़ अंजना माता की ओर वार्ड -3	80,000
5	ग्राम पंचायत टंग नरवाना	पंचायत समिति	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग /लिंक रोड सनी कुमार के घर तक	40,000
6	ग्राम पंचायत डगवार	पंचायत समिति	श्मशान घाट गावं खातेर	60,000
7	ग्राम पंचायत मन्दल	पंचायत समिति	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग में रोड से जोगिनेर सिंह के घर	88,000
8	ग्राम पंचायत	पंचायत	एम्बुलेंस रोड में रोड से स्वरूप चाँद के घर	60,000

	जदरांगल	समिति	तक w-5	
9	ग्राम पंचायत खनियारा	पंचायत समिति	जीप योग्य रोड संदीप के घर से pwd रोड तक w-6	1,00,000
			कुल योग	**₹438,010**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-14 दिनांक 14-02-2024 व 18 दिनांक 15-02-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर न देना स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति कार्यालय व पंचायतों को जारी की गई **₹438,010** के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 मनरेगा कर्मचारियों को पुनर्प्राप्ति (Recoupment) आधार पर पंचायत समिति निधि से वेतन का भुगतान ₹1.44 लाख को प्राप्त न करने पर अनियमित भुगतान बारे :-

पंचायत समिति द्वारा मनरेगा कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु पंचायत निधि से पुनर्प्राप्ति (Recoupment) आधार पर वाउचर संख्या 203 दिनांक 19-3-20 के तहत ₹143750 का व्यय किया गया था। हि.प्र.पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत समिति को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिस के लिए अनुदान मंजूर किए गए है, परन्तु मनरेगा से ₹143750 प्राप्त करने बारे पूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा की समाप्ति तक पड़ताल हेतु प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्यय की उक्त राशि को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि पंचायत निधि से मनरेगा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान के लिए व्यय की उक्त राशि उचित प्रभार नही है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-16 व 18 दिनांक 15-02-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर न देना स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः पंचायत समिति निधि से मनरेगा कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन की पुनर्प्राप्ति आधार पर जारी की गई ₹143750 को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **पंचायत समिति निधि से ₹3.36 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे ।**

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय आदेश संख्या O.M. No-6-4/74 Fin (Reg,Dated the 25th,April 1975 read with O.M.No-Fin(C) B (7)-14/98,dated 08-12-98 द्वारा यात्रा भत्ते दावे को नियमित करने सम्बंधित नियम प्रतिपादित किये गए हैं जिसके दृष्टिगत पंचायत समिति द्वारा निधि से वाउचर संख्या 201 दिनांक 9-3-20 व 92 दिनांक 4-10-2021 द्वारा विकास खंड के अधीन 24 पंचायतों के प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ₹336088 (₹164436+171652) का भुगतान किया था परन्तु भुगतान से सम्बन्धित कोई भी समर्थित अभिलेख यात्रा भत्ता बिल (H.P.T.R 7) आदि सलंग्न नही किये गए थे और न ही पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये थे जोकि उचित प्रतीत नही होता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-16 दिनांक व 18 दिनांक 15-02-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर न देना स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः पंचायत समिति निधि से यात्रा भत्ते के लिए भुगतान की गई असमर्थित राशि ₹164436 को नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इसे उचित स्त्रोत से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 **निर्माण कार्यों ₹11.16 लाख के प्राक्कलन तैयार न करने व प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्रस्तुत न करने बारे :-**

पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति निधि से अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यो के लिए पंचायत समिति भवन का अपबर्धन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निवास का नवीनीकरण, पंचायत समिति अध्यक्ष के कमरे का नवीनीकरण व पार्किंग के लिए अनुदान ₹1115796 जारी किया किया गया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 के प्रावधानों अनुसार स्वीकृत राशियों के कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्राक्कलन तैयार करना व प्राधिकृत तकनीकी

प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्रपत्र -31 में मंजूर प्राक्कलन का रजिस्टर बनाए रखेगा। अंकेक्षण हेतु अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अवहेलना के दृष्टिगत एक गंभीर अनियमितता है। दृष्टांत निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	कार्य का विवरण	राशि (₹)
1	पंचायत समिति	जिला पंचायत अधिकारी के निवास की चार दिवारी व स्टाफ क्वार्टर्स गेट का निर्माण इत्यादि	469800
2	पंचायत समिति	जिला पंचायत अधिकारी के निवास व स्टाफ क्वार्टर्स में इंटरलॉकिंग टाइल्स इत्यादि	645996
		कुल योग	**₹1115796**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-16 दिनांक व 18 दिनांक 15-02-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर न देना स्वतः आपत्तिजनक है ।

अतः पंचायत समिति निधि से निर्माण कार्यों के लिए भुगतान की गई ₹1115796 के प्राक्कलन तैयार करना व प्राधिकृत तकनीकी प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्रपत्र -31 में मंजूर प्राक्कलन का रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे ₹0.015 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

पंचायत समिति के अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित मासों के व्यय वाउचर की पड़ताल उपरांत पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा श्री करतार चन्द पंचायत सचिव को वाउचर संख्या 82 दिनांक 22-10-2018 द्वारा ₹4544 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किया गया था परन्तु CS(MA)नियम 1944 के नियम 5 के अनुसार चश्मे की अदायगी ₹4000 के स्थान पर ₹2500 की जानी अपेक्षित थी व ₹3044 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किया

जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹1500 (₹4544 -₹3044) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-16 दिनांक 25-02-2024 व 18 दिनांक 25-02-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर न देना स्वतः आपत्तिजनक है। अतः पंचायत समिति निधि से अधिक भुगतान को नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **बकाया वेतन ₹0.038 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-**

पंचायत समिति के अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित मासों के व्यय वाउचर की पड़ताल उपरांत पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा श्रीमति अलका पंचायत सचिव को वाउचर संख्या 214 दिनांक 22-03-2021 द्वारा ₹10611(₹22249-₹11638) का बकाया वेतन का भुगतान किया गया था जबकि निम्न विवरणानुसार 18 दिन के हिसाब से ₹6821(₹14303-₹7482) किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार बकाया वेतन ₹3790 (₹10611-₹6821) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-16 दिनांक 25-02-2024 व 18 दिनांक 25-02-2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर न देना स्वतः आपत्तिजनक है ।

अतः पंचायत समिति निधि से अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of Employees	Alka (Panchayat Secretary)
Date of Regularization	10-02-2021
Date of Joining	11-02-2021 (F.N.)
Pay Scale	5910 -20200 +1900 (Grade Pay)

Order No -KGR-ZP-Panchayat Sachiv/2021-299-302, DT: 10-02-2021

Period	Due in pay scale 5910-20200						Total	Drawan as contract basis 8910+1900		
1-2-21 to 28-2-21	B.P.+ G.P.	D A 153%	I R 21%	HRA	MA	CCA		B Pay	G.Pay 150%	Total
	5910+1900=7810	11949	1640	250	400	200	**22249**	**8788**	**2850**	**11638**

12. औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.22 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें जैसे निविदायें (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा राशि ₹22,222 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या-16 दिनांक-15-02-2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति धर्मशाला को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था । इस सम्बन्ध में पंचायत समिति धर्मशाला के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक प्राप्त न होना स्वतःआपत्तिजनक है ।

अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.स०/ अनुदान	वा.स.दिनांक	सामग्री विवरण	बिल/ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता का विवरण	राशि
1.पंचायत समिति	261/1.2.17	स्टेशनरी	4580/21.1.17.	---	मै० वासन इंटरप्राइजेज धर्मशाला	4787
2.पंचायत समिति	66/12.6.17	स्टेशनरी	611/15.3.17.	-----	मै० कार्तिक इंटरप्राइजेज धर्मशाला	6540
3. पंचायत समिति	216/22.03.21	जलपान बिल	495/18-3-21	----	मै०शिवा रेस्टोरेंट धर्मशाला	10895
					कुल योग	**₹22222**

13 नियमानुसार खाता बहियाँ (Ledger) तैयार न करने बारे :-

पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण में पाया कि पंचायत समिति में वर्ष 2016-17 से 2022-23 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी, जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी ।

अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमानुसार प्रतिवर्ष खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14 विविध अनियमिततायें

14.1 अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति काँगड़ा द्वारा सचिवों/सहायकों के वेतन से सम्बंधित ECR/PAY-ROLL रजिस्टर अवधि 04/2016 से 03/2023 तक तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में उक्त अवधि में किये गये वेतन भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । यह एक गंभीर

अनियमितता है । इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16 दिनांक 15-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त न होना स्वतः आपत्तिजनक है । अतः उक्त अभिलेखों/रजिस्टरों का अनुरक्षण करके सक्षम अधिकारी से सत्यापन उपरान्त कृत अपेक्षित अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के अनुसार पंचायत समिति को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप-3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है।

पंचायत समिति के लेखों की जांच में पाया गया कि: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस० /ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16 दिनांक 15-02-2024 द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक निम्न रजिस्टर/ अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण/रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
2.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
6.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
7.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
8.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय /वेतन का रजिस्टर	----------	-----------

17 भण्डार का भौतिक सत्यापन न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अंतर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार भण्डार में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

18 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

03 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का0/50
2805 - 2808

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (2) 393/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा जिला कांगड़ा हि0प्र0।

पंजीकृत 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का0/50

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति धर्मशाला
वित्तीय विवरण स्वस्त्रोत वित आयोग
वित्तीय वर्ष 2016–2023 तक

क0स0	वित्तीय वर्ष 2016–2017	राशि	
1	अथ शेष	11185546 ✓	
2	आय	2264899 ✗	
3	योग	13450445	
4	कुल व्यय	3941248	[illegible]
5	अन्त शेष	9509197	9268307
	वित्तीय वर्ष 2017–2018		
1	अथ शेष	9509197	9268307
2	आय	4149067 ✓	
3	योग	13658264	13417374
4	कुल व्यय	5046202 ✓	
5	अन्त शेष	8612062	8371172
	वित्तीय वर्ष 2018–2019		
1	अथ शेष	8612062	8371172
2	आय	18881819 ✓	
3	योग	27493881	27252991
4	कुल व्यय	9786385 ✓	
5	अन्त शेष	17707496	17466606
	वित्तीय वर्ष 2019–2020		
1	अथ शेष	17707496	17466606
2	आय	24352261 ✓	
3	योग	42059757	41818867
4	कुल व्यय	20107269 ✓	
5	अन्त शेष	21952488	21711598
	वित्तीय वर्ष 2020–2021		
1	अथ शेष	21952488	21711598
2	आय	19400999 ✓	
3	योग	41353487	41112597
4	कुल व्यय	18498435 ✓	
5	अन्त शेष	22855052	22614162

Corrected & checked

Assistant Controller

	वित्तीय वर्ष 2021–2022	
1	अथ शेष	22855052 22614162
2	आय	20097920
3	योग	42952972 42712082
4	कुल व्यय	18103483
5	अन्त शेष	24849489 24608599
	वित्तीय वर्ष 2022–2023	
1	अथ शेष	24849489 24608599
2	आय	15153197
3	योग	40002686 39761796
4	कुल व्यय	19536550
5	अन्त शेष	20466136 20225246

Corrected & Checked

Secretary Panchayat Samiti
D/shala, Distt. Kangra (H.P.)

Assistant Controller
State/Audit Department
H.P. Shimla -171009

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति धर्मशाला
वित्तीय विवरण (पंचायत समिति)
वित्तीय वर्ष 2016–2023 तक

क0स0	वित्तीय वर्ष 2016–2017	राशि
1	अथ शेष	4520488
2	आय	7821405
3	योग	12341893
4	कुल व्यय	4787658
5	अन्त शेष	7554235
	वित्तीय वर्ष 2017–2018	
1	अथ शेष	7554235
2	आय	5345434
3	योग	12899669
4	कुल व्यय	7120673
5	अन्त शेष	5778996
	वित्तीय वर्ष 2018–2019	
1	अथ शेष	5778996
2	आय	0
3	योग	5778996
4	कुल व्यय	65540
5	अन्त शेष	5713456
	वित्तीय वर्ष 2019–2020	
1	अथ शेष	5713456
2	आय	0
3	योग	5713456
4	कुल व्यय	0
5	अन्त शेष	5713456
	वित्तीय वर्ष 2020–2021	
1	अथ शेष	5713456
2	आय	0
3	योग	5713456
4	कुल व्यय	0
5	अन्त शेष	5713456

	वित्तीय वर्ष 2021–2022	
1	अथ शेष	5713456
2	आय	0
3	योग	5713456
4	कुल व्यय	0
5	अन्त शेष	5713456
	वित्तीय वर्ष 2022–2023	
1	अथ शेष	5713456
2	आय	0
3	योग	5713456
4	कुल व्यय	0
5	अन्त शेष	5713456

Secretary Panchayat Samiti
Distt. Kangra

22